सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 18.11.2023

मुंह पर मास्क/ कपडा लगाकर राहगीरों से मोबाइल लूटने वाले 02 शातिर लुटेरों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 चाकू, 01 मोबाइल(लूटा हुआ), 01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त) एवं मास्क/कपडा (घटना के समय प्रयोग किया गया) किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में *थाना फ्रेंण्डस कालोनी* पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी उमेश चन्द्र पुत्र स्व0 छकोडी लाल निवासी ग्राम भतौरा, जसवंतनगर द्वारा थाना फ्रेंण्डस कालोनी पर सूचना दी गयी कि जब वह अपने गांव भतौरा, जसवंतनगर जा रहा था तभी दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा जसवंतनगर क्षेत्रांतर्गत रेलवे क्रासिंग के पुल के पास से उससे मोबाइल छीन लिया। सूचना के आधार पर तत्काल थाना फ्रेंण्डस कालोनी पर मु0अ0सं0 379/2023 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं लूट/चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 17.11.2023 की रात्रि को थाना फ्रेंण्डस कालोनी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि जसवंतनगर क्षेत्र से मोबाइल लूटने वाले अभियुक्त मोबाइल को बेचने कोकपुरा आ रहे है। प्राप्त सूचना के आधार पर 02 मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तों को कोकपुरा चौराहे के पास से समय 22.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः-

पकडे गये अभियुक्तों की पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 01अवैध तमंचा 315 बोर, 01अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 चाकू, 01 मोबाइल **(लूटा हुआ)** तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गयी। कडाई से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग मुंह पर मास्क/कपडा लगाकर चलते राहगीरों से मोबाइल आदि छीन लेते है तथा उनको सस्ते दामों में बेचकर धन लाभ अर्जित करते है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना फ्रेण्डस कालोनी पर पंजीकृत अभियोग 379/2023 धारा 392 भादवि में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी है। बरामद असलहा के संबंध में मु0अ0सं0 381/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम रोहित एवं मु0अ0सं0 382/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम जितेन्द्र के पंजीकृत किया गया है। बरामद मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र शंकर सिह निवासी काशीराम कालोनी गिहार नगर थाना भरथना जनपद इटावा उम्र 25 वर्ष
2. रोहित पुत्र महेश निवासी काशीराम कालोनी गिहार नगर थाना भरथना जनपद इटावा उम्र 20 वर्ष

बरामदगीः-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 01 चाकू
4. 01 मोबाइल (लूटा हुआ)
5. मास्क/कपडा (मुंह पर लगाकर घटना कारित किया जाना)
6. 01 मोटरसाइकिल (सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट)

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 379/2023 धारा 392, 411 भादवि थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा
02.मु0अ0सं0 381/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेंण्डस कालोनी जनपद इटावा
03.मु0अ0सं0 382/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेंण्डस कालोनी जनपद इटावा

आपराधिक इतिहासः-

A.अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू

1. मु0अ0स0 416/2020 धारा 380/411 भादवि थाना भरथना इटावा
2. मु0अ0स0 590/2020 धारा 120बी /398/402/420 भादवि थाना बकेवर इटावा
3. मु0अ0स0 60/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर इटावा
4. मु0अ0स0 292/2021 धारा 363/366/376डी/506 भादवि थाना भरथना इटावा
5. मु0अ0स0 202/2023 धारा 380/411/427/457 भादवि थाना भरथना इटावा
6. मु0अ0स0 203/2023 धारा 102/41/411 भादवि थाना भऱथना इटावा
7. मु0अ0स0 204/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भरथना इटावा
8. मु0अ0स0 379/2023 धारा 392/411 भादवि थाना फ्रेण्डस कालोनी इटावा
9. मु0अ0स0 382/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेण्डस कालोनी इटावा

B.अभियुक्त रोहित

1.मु0अ0स0 515/2020 धारा 380/411/457 भादवि थाना भरथना इटावा
2.मु0अ0स0 379/2023 धारा 392/411 भादवि थाना फ्रेण्डस कालोनी इटावा
3.मु0अ0स0 381/2023 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना फ्रेण्डस कालोनी इटावा

पुलिस टीमः- निरी0 अपराध रामसहाय सिंह थाना फ्रेण्डस कालोनी, उ0नि0 मोहनवीर सिंह, हे0का0 प्रवीन कुमार, का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 प्रशान्त कुमार, का0 अंकुश सिंह।